GOVERNMENT 0F
HARYANA
EDUCATION DEPARTMENT

ORDER
(Under Rule 34(6) of Haryana School ducation Rules – 2003)
GRANT OF PERMANENT RECOGNITION

Order No. G.1.2015/2124 Dated 6.1.2015

In exercise of powers conferred under rule 34(6) of Haryana School Education Rules 2003, as amended from time to time, sanction is hereby accorded for grant of Permanent Recognition to **Sir Chhotu Ram Sr. Sec. School, Malha Majra Sonepat** as per the following details and terms & conditions (overleaf):

School Code	/	Sonepat /	9^{TH} to 12^{th} /	HBSE/CBSE /	2014-15
	(Serial No.)	(District)	Stage of School	Affiliating Board	Year

Name & Address of the School : **Sir Chhotu Ram Sr. Sec. School, Malha Majra, Sonepat**

Name of the Individual or Association of Individuals or Society or Trust or Company establishing the school : **Sir Chhotu Ram Sr. Sec. School, Malha Majra Sonepat**

Sir Chhotu Ram Education Society, Sonepat

Affiliated Board (Haryana Board/CBSE/ICSE) : HARYANA BOARD

For classes (stage upto which it is being recognized) : 9th to 12th

Stream (Arts/Commerce/Science) : Art/Commerce/Science

Maximum number of students to be enrolled : 510

DEP/DEEO Distt. Education Officer Sonepat
-cum-**Member Secretary**
of the District Committee
(As specified under Rule 34(6) of the Haryana School Education Rules,2003 as amended from time to time)
(Signature and Seal)

Deputy Commissioner Deputy Commissioner
-cum-**Chairman**
of the District Committee
(As specified under Rule 34(6) of the Haryana School Education Rules,2003 as amended from time to time)
(Signature and seal)

Endst No.Even.: G.1.15/2124 Dated: 6.1.2015

1. Manager of School Management **Sir Chhotu Ram Education Society, Sonepat** .
2. Commissioner & Director School Education, Haryana, Chandigarh.
3. DEO/DEEO Sonepat.
4. Secretary, Haryana Board of School Education, Bhiwani.
5. Principal / Head of School **Sir Chhotu Ram Sr. Sec. School, Malha Majra**, Sonepat.
6 Master file

DEO/DEEO-cum-Member Secretary
Distt. Education Officer
Sonepat

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सोनीपत

आदेश क्रमांक मा-1-97/4097-5000 दिनांक सोनीपत:- 30-8-99

सर छोटूराम माडल माध्यमिक विद्यालय, मल्हा माजरा को दिनांक 1-4-99 से माध्यमिक विभाग की स्थाई मान्यता कक्षा छठी से आठवीं तक उपमण्डल स्तरीय निरीक्षण कमेटी की सिफारिश के आधार पर निम्न शर्तों अनुसार प्रदान की जाती है:-

1- विद्यालय के प्रबन्धक स्कूल अपने साधनों से ही चलायेंगें तथा विभाग/सरकार से किसी प्रकार के मद एवं अनुदान की मांग नहीं करेंगें।

2- भावी नियुक्तियों में आरक्षण का ध्यान रखेंगें।

3- स्टाफ के लिए जी०पी०एफ०/सी०पी०एफ० स्कीम को लागू करेंगें।

4- फण्डों का लेखा जोखा समय पर जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करवायेंगें।

5- विभाग/सरकार/बोर्ड द्वारा समय-2 पर जारी की गई हिदायतों की दृढ़ता से पालना करेंगें तथा एजूकेशन कोड की धारा 214 से 237 में निहित सभी हिदायतों/नियमों की पालना करेंगें।

6- विद्यालय के प्रबन्धक द्वारा 32000/- में से केवल 10,000/- रु० की राशि जिला शिक्षा अधिकारी के नाम फिक्स करवाई है। स्टाफ के छ: मास के वेतन के बराबर बाकी राशि तीन किस्तों में छ:माही जिला शिक्षा अधिकारी के नाम रहन करवायेंगें। ऐसा न करने पर मान्यता स्वत: समाप्त समझी जावे।

उपरोक्त हिदायतों की पालना न करने पर मान्यता किसी भी समय रद्द की जा सकती है।

हस्ता/
जिला शिक्षा अधिकारी
सोनीपत।

पृ० क्रमांक -सम-

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़।
2- सभी जिला शिक्षा अधिकारी हरियाणा राज्य में।
3- सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
4- प्रबन्धक/मुख्याध्यापक सम्बन्धित विद्यालय।
5- उपमण्डल शिक्षा अधिकारी, सोनीपत/गोहाना/गन्नौर।

S kamei
जिला शिक्षा अधिकारी
सोनीपत।
30/8/99

कार्यालय जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, सोनीपत

यादि कमांक स्टैनो–99/ 651–85

दिनांकः 1/7/98

सर छोटू राम मार्डन स्कूल, महला माजरा को कक्षा पहली से पाँचवीं तक शिक्षा कोड में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक विभाग तुरन्त प्रभाव से निम्न शर्तों पर स्थाई मान्यता प्रदान की जाती है :

1– विद्यालय के प्रबन्धक स्कूल को अपने ही साधनों से चलायेंगें और सरकार से किसी पद या ग्रांट की मांग नहीं करेंगें ।

2– विद्यालय/विभाग/सरकार/बोर्ड द्वारा समय पर जारी की गई हिदायतों एवं शर्तों तथा एजुकेशन कोड की धारा 214 के तहत सभी नियमों एवं शर्तो को मानने के लिए बाध्य होंगें ।

3– विद्यालय स्टाफ का वेतन समय–समय पर संशोधन होने पर नियमानुसार संशोधित राशि जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, के नाम से विद्यालय के छः मास के वेतन के बराबर राशि प्लैज करवाने को बाध्य होगा । राशि 31.3.2000 तक जमा करवानी होगी ।

4– भावी नियुक्तियॉं विभाग/सरकार द्वारा जारी नियमानुसार की जाए ।

5– स्टाफ की जी.पी.एफ./सी.पी.एफ. सरकार के नियमानुसार चालू किया जाये ।

6– फण्डों के शेयर नियमानुसार इस कार्यालय को भेजें ।

7– यह कि संस्था सी.डब्ल्यू.पी. नं0/7639/95 नवनीत कुमार बनाम हरियाणा सरकार के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करेगा ।

यदि विद्यालय/विभाग द्वारा/सरकार बोर्ड द्वारा जारी आदेशें की अनुपालना नहीं करता तो मान्यता किसी भी समय रद्द की जा सकती है ।

(प्रेम कुलेरी)
जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, सोनीपत ।

पृ0सम

इसकी एक प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है:–

1– निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा चण्डीगढ़ ।
2– सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी ।
3– जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत ।
4– समस्त जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी हरियाणा राज्य ।
5– मुख्याध्यापक/प्रबन्धक , सर छोटू राम मार्डन स्कूल, महला माजरा
6– उपमण्डल शिक्षा अधिकारी, सोनीपत ।
7– सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला सोनीपत ।
8– महप्रबन्धक, हरियाणा रोडवेज, सोनीपत ।
9– आडिट लोकल कार्यालय ।
10– सामान्य शाखा (लोकल) ।

Prem Kulery
जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, सोनीपत ।

1/7

Scanned by CamScanner

NDSHB / 2000/ 2593 / 5-6-2013 AF-4

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(आई.एस.ओ. 9001:2008 द्वारा प्रमाणित संस्थान)

प्रेषक :

सचिव,
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड,
भिवानी–127021

सेवा में,
प्राचार्य/मुख्याध्यापक/मुख्याध्यापिका,
Sir Chhotu Ram Sr Sec. School, Malha-Majra (Sonepat).

क्रमांक 18271/10+2/ SO / Aff./ 2015-16 दिनांक 13.5.16

महोदय/महोदया,

आपकी संस्था को SR. SECONDARY कक्षा तक Commissioner & Director General School Education Haryana Panchkula के आदेश क्रमांक G-I-2015/2124 दिनांक 6/1/2015 द्वारा दी गई स्थायी मान्यता के आधार पर स्थायी सम्बद्धता बोर्ड द्वारा निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :–

1. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड/शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा अनुमोदित पुस्तकें ही पढ़ाई जायें।
2. संस्था परीक्षाओं के संचालन के लिए अपने स्कूल का भवन/फर्नीचर एवं अपने स्टाफ की सेवाएं बोर्ड को उपलब्ध करवाएगी। बोर्ड द्वारा उन्हें भवन/फर्नीचर का किराया आदि नहीं दिया जायेगा।
3. बोर्ड द्वारा बनाये गये पाठ्यक्रम एवं परीक्षाओं से सम्बन्धित जो निर्देश समय–समय पर जारी किये जाते हैं, संस्था उनकी दृढ़ता से पालना करेगी।
4. संस्था बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए बोर्ड को पूर्ण सहयोग देगी, जिससे नकल/प्रतिरूपण मामलों एवं अन्य अनियमितताओं पर पूर्ण नियन्त्रण किया जा सके।
5. संस्था बोर्ड द्वारा संचालित मुक्त विद्यालय परीक्षा एवं इससे सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र को संचालित करने में पूर्ण सहयोग देगी।
6. संस्था द्वारा हरियाणा एजुकेशन कोड की धारा 28 क्रम संख्या 1 से 21 के अनुसार सभी प्रकार का रिकार्ड एवं रजिस्टर तैयार करने की पालना की जायेगी।
7. संस्था में कार्यरत स्टाफ की नियुक्ति हरियाणा सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार हो।
8. परीक्षार्थियों का विद्यालय में बैठने के लिए समुचित प्रबन्ध करना होगा।
9. संस्था में पढ़ाये जाने वाले विज्ञान विषयों के लिए उपयुक्त प्रयोगशाला तथा वांछित उपकरणों का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए एवं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित विज्ञान की प्रायोगिक पुस्तिका ही विद्यार्थियों को लगवाई जाये।
10. बोर्ड द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने के पश्चात कभी भी विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त शिक्षा विभाग/हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा समय–समय पर लिए गए निर्णय भी आपकी संस्था पर लागू होंगे तथा आपकी संस्था द्वारा इनकी पालना की जायेगी।

यदि किसी समय यह पाया गया कि प्रबन्धक/विद्यालय/महाविद्यालय सम्बद्धता सम्बन्धी शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं तो सम्बद्धता विनियमों के अन्तर्गत सम्बद्धता वापिस ले ली जायेगी।

भवदीय

अधीक्षक (सम्बद्धता)
कृते सचिव

Scanned by CamScanner